स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

दिनांक 03.11.2017

स्वच्छ भारत अभियान — स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर श्री देवेन्द्र यादव की अध्यक्षता में महापौर परिषद् की बैठक आज सम्पन्न हुई। बैठक में पांच बिन्दुओं पर प्रकरण विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु परिषद् में रखा गया था। परिषद के उपस्थित सदस्यों द्वारा सभी बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर प्रस्ताव पारित किया गया। महापौर के सदस्यों के द्वारा निगम आयुक्त से साफ–सफाई व्यवस्था के लिए जेसीबी मशीन एवं विद्युत संधारण के लिए एलिवेटर मशीन उपलब्ध कराने की मांग पर आयुक्त महोदय द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

महापौर परिषद् की बैठक में **प्रथम बिन्दु** वर्ष 2017–18 में निगम क्षेत्र एवं सेक्टर क्षेत्र के 57 नवनिर्मित उद्यानों का एक वर्ष का रखरखाव संधारण कार्य कराने पर व्यय राशि 1,42,16,948.00 (एक करोड़ ब्यालीस लाख सोलह हजार नौ सौ अड़तालिस रुपये) की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसे परिषद के सदस्यों के द्वारा सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

प्रस्ताव 02 –राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजनान्तर्गत नये प्रकरणों की स्वीकृति जोन 01 नेहरु नगर के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 23 पात्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 09 पात्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 04 पात्र एवं सुखद सहारा पेंशन योजनान्तर्गत 06 कुल 42 हितग्रहियों को प्रतिमाह 350 रुपये के दर से कुल 14 हजार 700 सौ रुपये व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति महापौर परिषद द्वारा प्रदान की गई।

प्रस्ताव 03 – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजनान्तर्गत नये प्रकरणों की स्वीकृति जोन 05 सेक्टर 06 के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 10 पात्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 04 पात्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 02 पात्र एवं सुखद सहारा पेंशन योजनान्तर्गत 05 कुल 21 हितग्रहियों को प्रतिमाह 350 रुपये के दर से कुल 7 हजार 3 सौ पचास रुपये व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति महापौर परिषद द्वारा प्रदान की गई।

प्रस्ताव 04 – नगर पालिक निगम भिलाई के 3 अधिकारी श्री जी0एस0 ताम्रकर, श्री संत्येन्द्र सिंह एवं आर0के0 नारंग को अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु स्वीकृति महापौर परिषद द्वारा प्रदान की गई। **महापौर परिषद के सदस्य श्री दीवाकर भारती द्वारा श्री सत्येन्द्र सिंह को अधीक्षण यंत्री के पद पर पदोन्नति नहीं दिये जाने की आपत्ति दर्ज की गई।**

प्रस्ताव 05 – वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड स्थित क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाईट एवं मुलभुत सुविधा अंतर्गत चेयर की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था एवं सफाई कार्य, 03 वर्षों तक संधारण रखरखाव एवं रेत डालकर समतल करना एवं घास लगाने के कार्य हेतु एकीकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों/पंजीकृत संस्थाओं/अनुभवी वास्तुविदों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाना है। सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 19.09.2017 के प्रस्ताव 02 को महापौर परिषद में रखें जाने की अनुशंसा किया गया था। महापौर परिषद द्वारा उक्त कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है।

बैठक के दौरान महापौर परिषद के सदस्य लक्ष्मीपति राजू, डॉ. दीवाकर भारती, केशव बंछोर, दुर्गा प्रसाद साहू, साकेत चन्द्राकर, सुर्यकान्त सिन्हा, श्रीमती सुशीला देवांगन, सुश्री सोशन लोगन, श्रीमती सुभद्रा सिंह, निगम आयुक्त के0एल0 चौहान, जोन क्रमांक 02 जोन आयुक्त आर0के0 पदमवार,

समाज कल्याण प्रभारी अधिकारी मूर्ति शर्मा, उद्यान अधिकारी पी0के0 सार्वा, जनसम्पर्क अधिकारी सुभाष सिंह ठाकुर, निगम सचिव जीवन वर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी आर0के0 साहू, उपस्थित रहें।
फोटो संलग्न

जनसम्पर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम भिलाई